<u>न्यायालय विशिष्ठ न्यायाधीश (एन.डी.पी.एस.प्रकरण) झालावाड (राज.)</u>

पीठासीन न्यायाधीश–**बरकत अली** (जिला न्यायाधीश संवर्ग)

<u>सेशन प्रकरण संख्या-50/2019</u>

<u>सी.आई.एस. नं.-50/2019</u>

राजस्थान राज्य

बनाम

01- हंसराज मोग्या पुत्र गोपाल, उम्र-45 साल,
02-राजेन्द्र उर्फ राजू मोग्या पुत्र परमानंद, उम्र-40 साल,
03-कजोड उर्फ बालमुकुन्द मोग्या, उम्र-30 साल,
निवासीगण-रूपाहेडा, पुलिस थाना खानपुर, जिला-झालावाड(राज.)

.....अभियुक्तगण

अपराध अन्तर्गत धारा-302/34 भा.दं.सं., धारा-4/25 आयुध अधिनियम, प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या- 143/2019 पुलिस थाना खानपुर।

<u>उपस्थित:-</u>

1-श्री शैलेन्द्र सिंह पंवार विशिष्ठ लोक अभियोजक, राजस्थान राज्य की ओर से।
2-श्री सुनील गुप्ता तथा श्री अविनाश गुप्ता, अधिवक्ता, अभियुक्तगण की ओर से।

<u>निर्णय</u> **दिनांक 15.05.2026**

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि परिवादी राजेन्द्र ने थानाधिकारी पुलिस थाना खानपुर के समक्ष दिनाक 15.05.2019 को एक लिखित रिपोर्ट इस आशय की प्रस्तुत की कि उसका काका सुग्रीमा रूपाहेडा का रहने वाला है। करीब दो साल से उसका काका सुग्रीमा अधिकतर समय उसकी पुत्री सलोचना के पास ग्राम बाछीहेडा में रहता था। गए रविवार को दिन में 12 बजे करीब उसका काका सुग्रीमा उसकी पुत्रियों के पास बाछीहेडा जाने की कहकर गांव रूपाहेडा से निकला था। उसके बाद सुग्रीमा घर पर नहीं आया। आज सुबह 07 बजे करीब भीमराज ने बताया कि उसके काका सुग्रीमा भटखेगी के रास्ते पर पड़ा हुआ है, जिसके मुंह पर खून पड़ा हुआ है। इस पर वह घर

से भटखेडी के कच्चे रास्ते पर आया तो उसने देखा कि उसके काका सुग्रीमा की लाश वहां पड़ी हुई थी, जिसे देखकर उसी समय उसकी मोटरसाइकिल से रवाना होकर घर पर गया व परिवारवालों को सूचित किया। उनको साथ लेकर मौके पर आया। सुग्रीमा के मुंह, सिर पर धारदार हथियार की चोटें है तथा उसका बायां कान आधा कटा हुआ है। निचले गाल में छेद है। सुग्रीमा की अज्ञात लोगों ने हत्या कर दी है, इत्यादि।

02- उक्त तहरीरी रिपोर्ट के आधार पर प्रथम सूचना रिपोर्ट सं.-143/2019 अन्तर्गत **धारा-302 भा.दं.सं.** में दर्ज कर अनुसंधान प्रारंभ किया गया। दौराने अनुसंधान अभियुक्त हंसराज मोग्या, राजेन्द्र उर्फ राजू मोग्या तथा कजोड उर्फ बालमुकुन्द मोग्या को गिरफ्तार किया गया। बाद अनुसंधान अभियुक्त हंसराज मोग्या, राजेन्द्र उर्फ राजू मोग्या तथा कजोड उर्फ बालमुकुन्द मोग्या के विरूद्व धारा-302/34 भा.दं.सं. व धारा-4/25 आयुध अधिनियम में में चालान अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया, जो सेशन कमिट होकर सेशन न्यायालय में प्राप्त होकर उत्तरोत्तर क्रम में अन्तरित होकर न्यायालय हाजा में प्राप्त हुआ, जो दर्ज रजिस्टर किया गया।

03- बहस आरोप सुनी जाकर अभियुक्त हंसराज तथा राजेन्द्र उर्फ राजू के विरूद्व धारा-302/34 भा.दं.सं. के तथा अभियुक्त कजोड उर्फ बालमुकुन्द मोग्या के विरूद्व धारा-302/34 भा.दं.सं. व धारा-4/25 आयुध अधिनियम के आरोप विरचित कर सुनाये व समझाये तो अभियुक्तगण द्वारा आरोप अस्वीकार कर अन्वीक्षा चाही।

04- विचारण के दौरान अभियोजन पक्ष द्वारा अपने पक्ष समर्थन में निम्नलिखित गवाहान को परीक्षित करवाया गयाः-

क्र.सं.	साक्षी क्रमांक	नाम साक्षी	किस संबंध का साक्षी
1	पी.ड.-1	दुर्गाशंकर	बयान धारा-161 दं.प्र.सं.
2	पी.ड.-2	धीरप	फर्द पंचायतनामा, फर्द जब्ती चप्पल जोडी, फर्द नक्शा मौका घटना स्थल
3	पी.ड.-3	जोधराज	ताईद एफ.आई.आर दर्ज करना
4	पी.ड.-4	रिंकेश	फर्द पंचायतनामा, बयान धारा-161 दं.प्र.सं., फर्द जब्ती खून आलूदा मिट्टी, फर्द सुपुर्दगी लाश, नक्शा मौका
5	पी.ड.-5	भीमराज	बयान धारा-161 दं.प्र.सं.
6	पी.ड.-6	चौथमल	बयान धारा-161 दं.प्र.सं.
7	पी.ड.-7	अल्का चायल	ताईद घटना स्थल निरीक्षण रिपोर्ट मय फोटोग्राफ
8	पी.ड.-8	भागचन्द	मृतक व घटना स्थल की फोटोग्राफी
9	पी.ड.-9	कमलचन्द	हालात तफ्तीश
10	पी.ड.-10	लालाराम	ताईद फर्र गिरफ्तारी मुलजिमान, फर्द बरामदगी अलाये कत्ल व नक्शा मौका बरामदगी स्थल व फर्द तस्दीक घटना स्थल
11	पी.ड.-11	जितेन्द्र सिंह	ताईद फर्द गिरफ्तारी अभियुक्तगण
12	पी.ड.-12	डॉ.धीरेन्द्र गोपाल मिश्रा	ताईद पोस्ट मार्टम रिपोर्ट मृतक सुग्रीमा मोग्या
13	पी.ड.-13	मदनलाल	ताईद एफआईआर दर्ज करना व ताईद एफआईआर दर्ज करना
14	पी.ड.-14	भगुता गुर्जर	ताईद एफआईआर दर्ज करना
15	पी.ड.-15	दिनेश मीणा	फर्द बरामदगी अलाये कत्ल व नक्शा मौका बरामदगी स्थल
16	पी.ड.-16	कर्मा बाई	बयान धारा-161 दं.प्र.सं.
17	पी.ड.-17	सलोचना बाई	बयान धारा-161 दं.प्र.सं.
18	पी.ड.-18	भूरी बाई	बयान धारा-161 दं.प्र.सं.

19	पी.ड.-19	राजेन्द्र सिंह	माल एफएसएल जमा करवाना व बयान धारा-161 दं.प्र.सं.
20	पी.ड.-20	हनुमान	मुलजिमान से तस्दीक नक्शा मौका घटना स्थल
21	पी.ड.-21	जगदीशराम	बयान धारा-161 दं.प्र.सं. व माल जमा मालखाना करना

05- अभियोजन पक्ष की ओर से दस्तावेजी साक्ष्य में निम्नलिखित प्रलेख प्रदर्शित करवाये गयेः-

क्र०सं०	प्रदर्श क्रमांक	नाम दस्तावेजात
01-	प्र.पी-01	फर्द पंचायतनामा
02-	प्र.पी-02	फर्द जब्ती चप्पल
03-	प्र.पी-03	घटना स्थल का नक्शा मौका
04-	प्र.पी-04	फर्द फोटोग्राफी
05-	प्र.पी-05	तहरीरी रिपोर्ट
06-	प्र.पी-06	फर्द जब्ती खून आलूदा मिट्टी
07-	प्र.पी-07	फर्द जब्ती खून आलूदा शर्ट
08-	प्र.पी-08	फर्द सुपुर्दगी लाश
09-	प्र.पी-09	गवाह रिंकेश के 164 दं.प्र.सं. के बयान
10-	प्र.पी-10	बयान धारा-161 दं.प्र.सं. भीमराम मीणा
11-	प्र.पी-11	बयान धारा-161 दं.प्र.सं. चौथमल
12-	प्र.पी-12	घटना स्थल रिपोर्ट
13-	प्र.पी-13 लगायत प्र.पी-22	मृतक तथा घटना स्थल के फोटोग्राफ्स
14-	प्र.पी-22	चॉक एफ.आई.आर.
15	प्र.पी-23	फर्द जब्ती पांच रूपये का सिक्का
16	प्र.पी-24	पोस्ट मार्टम रिपोर्ट

17	प्र.पी-25	फर्द गिरफ्तारी अभियुक्त हंसराज मोग्या
18	प्र.पी-26	फर्द गिरफ्तारी अभियुक्त राजेन्द्र उर्फ राजू मोग्या
19	प्र.पी-27	फर्द गिरफ्तारी अभियुक्त कजोड उर्फ बालमुकुन्द
20	प्र.पी-28	धारा-27 साक्ष्य अधिनियम की सूचना अभियुक्त हंसराज
21	प्र.पी-29	धारा-27 साक्ष्य अधिनियम की सूचना अभियुक्त कजोड
22	प्र.पी-30	धारा-27 साक्ष्य अधिनियम की सूचना अभियुक्त राजू
23	प्र.पी-31	फर्द तस्दीक घटना स्थल
24	प्र.पी-32	धारा-27 साक्ष्य अधिनियम की सूचना अभियुक्त हंसराज
25	प्र.पी-33	फर्द जब्ती अलाय कत्ल लोहे की कुल्हाडी
26	प्र.पी-34	बरामदगी स्थल का नक्शा मौका
27	प्र.पी-35	धारा-27 साक्ष्य अधिनियम की सूचना अभियुक्त कजोड
28	प्र.पी-36	फर्द जब्ती एक लोहे का कुटिया बकब्जे अभियुक्त कजोड
29	प्र.पी-37	बरामदगी स्थल का नक्शा मौका
30	प्र.पी-38	धारा-27 साक्ष्य अधिनियम की सूचना अभियुक्त राजू
31	प्र.पी-39	फर्द जब्ती बांस की लकडी बकब्जे अभियुक्त राजू
32	प्र.पी-40	बरामदगी स्थल का नक्शा मौका
33	प्र.पी-41	थाने का एम.जे.एम., झालावाड को पत्र
34	प्र.पी-42	थाने का एफएसएल को पत्र
35	प्र.पी-43	एफएसएल प्राप्ति रसीद
36	प्र.पी-44	रोजनामचा रपट
37	प्र.पी-45	रोजनामचा रपट
38	प्र.पी-46	रोजनामचा रपट
39	प्र.पी-47	रोजनामचा रपट
40	प्र.पी-48	रोजनामचा रपट
41	प्र.पी-49	रोजनामचा रपट
42	प्र.पी-50	एफएसएल रिपोर्ट
43	प्र.पी-51	एफएसएल रिपोर्ट

44	प्र.पी-52	गवाह कर्मा बाई के पुलिस बयान
45	प्र.पी-53	गवाह सुलोचना बाई के पुलिस बयान
46	प्र.पी-54	गवाह भूरी बाई के पुलिस बयान
47	प्र.डी-1	गवाह रिंकेश के पुलिस बयान

06- साक्ष्य अभियोजन समाप्त होने पर अभियुक्तगण का परीक्षण अन्तर्गत धारा-313 द.प्र.सं. में लिया गया, जिसमें अभियुक्तगण ने गवाहान का गलत बोलना कथन किया तथा स्वंय को निर्दोष होना जाहिर किया। साक्ष्य सफाई पेश नहीं करना चाहा। इस पर साक्ष्य सफाई बन्द की गई।

07- उभय पक्ष की बहस सुनी गयी एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

08- दौराने बहस विद्वान विशिष्ठ लोक अभियोजक का कथन रहा है कि पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य से अभियुक्तगण के विरूद्ध मामला सन्देह से परे साबित है। मुलजिमान के कब्जे से उनके रहवासी मकान से हत्या में प्रयुक्त हथियार बरामद किये गये है तथा मुलजिमान के द्वारा पुरानी रंजिश के कारण मृतक सुग्रीमा की हत्या कारित की है। अतः मुलजिमान को कठोर दंड से दंडित किया जावे।

09- दौराने बहस अधिवक्ता अभियुक्तगण का लिखित तर्क में कथन रहा है कि अभियोजन सन्देह से परे मामला साबित कराने में पूर्ण रूप से असफल रहा है। पत्रावली पर ऐसी कोई साक्ष्य नहीं है, जिससे मुलजिमान के विरूद्ध मृतक सुग्रीमा की हत्या कारित करते हुए देखा गया हो। पत्रावली पर लास्ट सीन थ्योरी के संबंध में भी कोई साक्ष्य नहीं है। पत्रावली पर ऐसी कोई साक्ष्य नहीं है कि हत्या से पूर्व मुलजिमान को मृतक के साथ देखा गया हो तथा प्रथम सूचना रिपोर्ट में भी मुलजिमान को नामजद नहीं किया गया है। अभियोजन मुलजिमान के द्वारा मृतक की हत्या करने के आशय को भी साबित

करने में पूर्ण रूप से असफल रहा है। बरामद हथियार खुले बाजार में मिलते है। बरामद हथियारों पर ऐसे कोई आलामात नहीं पाये गये है, जिससे यह प्रकट होता हो कि उक्त हथियारों का उपयोग मुलजिमान के द्वारा सुग्रीमा की हत्या में किया गया हो। एफएसएल रिपोर्ट से भी मुलजिमान की उक्त अपराध में संलिप्तता प्रकट नहीं होती है। अतः अभियुक्तगण को दोषमुक्त किये जाने का निवेदन किया गया।

10- हस्तगत प्रकरण में अवधार्य प्रश्न यह है किः-

1-क्या अभियुक्तगण ने दिनांक 15.05.2019 से गये रविवार को दिन के 12 बजे के लगभग मौजा पोल्लिया खाल के पास गांव, भटखेडी के कच्चे रास्ते पर अपने सामान्य आशय के अग्रसरण में परिवादी के काका सुग्रीमा मोग्या के साथ मारपीट कर उसकी हत्या कारित की ?

2-क्या हस्तगत प्रकरण की घटना में प्रयुक्त एक लोहे का कुटिया अभियुक्त कजोड उर्फ बालमुकुन्द के कब्जे से बरामद हआ ?

3-यदि हां तो अभियुक्तगण को किस दण्ड से दण्डित किया जावे ?

11- उभय पक्ष के तर्कों पर मनन किया। पत्रावली का गहनतापूर्वक अवलोकन किया गया। उक्त अवधार्य बिन्दु को साबित करने के लिए अभियोजन के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य का संक्षिप्त व सुसंगत विवेचन निम्न प्रकार हैः-

12- गवाह पी.ड.-1 दुर्गाशंकर ने कथन किया है कि उसकी साक्ष्य से करीब दो साल पहले शाम के 07 बजे व मन्दिर में थे तो सामने से सुग्रीमा मोग्या निकलकर गया था। उस समय उसके साथ भंवर सिंह, चौथमल मौजूद

थे। सुबह पता चला की सुग्रीमा की लाश नदी में मिली है। अवसर दिये जाने के बावजूद अधिवक्ता अभियुक्तगण ने गवाह से कोई जिरह नहीं की।

13- गवाह पी.ड-2 धीरप अभियोजन कहानी का समर्थन नहीं करने के कारण पक्षद्रोही घोषित हुआ है, जिसने विशिष्ठ लोक अभियोजक के प्रतिपरीक्षण में कथन किया है कि यह कहना गलत है कि पुलिस ने उसके सामने पंचनामा बनाया हो। यह कहना भी गलत है कि पुलिस ने उसके सामने मृतक की चप्पल जब्त की हो और घटना स्थल का नक्शा मौका बनाकर उसका निशानी अंगूठा करवाया हो।

14- गवाह पी.ड-3 बंशीलाल ने कथन किया है कि सुग्रीमा उसके मामाजी थे, जिनकी 04 साल पहले मृत्यु हो गई थी, जिनकी लाश मिली थी, जिसका पुलिस ने पंचनामा प्र.पी-1, बनाने तथा लाश व घटना स्थल की फोटोग्राफी प्र.पी-4 पर अपनी अंगूठा निशानी होना कथन किया है। गवाह ने **प्रतिपरीक्षण** में कथन किया है कि उसने प्र.पी-1 व प्र.पी-4 पर किस बाबत हस्ताक्षर किये थे, उसे पता नहीं है। उसने पुलिस वालों के कहने से हस्ताक्षर किये थे।

15- गवाह पी.ड-4 रिंकेश ने कथन किया है कि वह सुग्रीया को जानता था। वह उसका रिस्ते में कुछ भी नही लगता था। चार साल पहले की घटना है। कजोड व हंसराज को उसने जाता हुआ देखा था। हंसराज के हाथ में कुल्हाडी थी। राजू अपने घर पर था। उसने सुग्रीया के मरने की सूचना सुनी थी। खानपुर अस्पताल में सुग्रीया का पोस्टमार्टम हुआ था, जहाँ पर वह गया था, जहाँ पर पुलिस ने उसके हस्ताक्षर करवाये थे। पुलिस ने रिपोर्ट लिखवाई थी जो प्र.पी-5 है। उसके समक्ष मिट्टी प्र.पी-6 से जब्त की थी, मृतक के कपडे जरिये फर्द प्र.पी-7 जब्त किये थे, पोस्टमार्टम के बाद राजेन्द्र को लाश

सुपुर्द की थी, जिसकी फर्द प्र.पी-8 है, उसके न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान प्र.पी-9 हुए थे, जिन पर गवाह ने अपने हस्ताक्षरों को स्वीकार करते हुए प्रदर्शित करवाया है। गवाह ने **प्रतिपरीक्षण** में कथन किया है कि यह कहना सही है कि प्र.पी-6, प्र.पी-7, प्र.पी-8 तथा प्र.पी-9 पर उसके हस्ताक्षर किस बाबत करवाये गये थे, उसे पता नहीं है। यह कहना सही है कि उसने पुलिस के कहने से ही हस्ताक्षर किये थे। प्र.पी-5 उसकी कलमी है, जो पुलिस के कहेनुसार उसने लिखी थी। पुलिस ने ही प्र.पी-5 की रिपोर्ट उससे लिखवाई थी। यह कहना सही है कि प्र.पी-5 में कजोड और हंसराज के बारे में राजू के घर पर आने व सुग्रीमा के पीछे जाने वाली बात नहीं लिखाई थी। पुलिस ने उसके कभी बयान नहीं लिये। प्र.डी-1 उसने पुलिस को नहीं लिखाया था। यह सही है कि उसने घटना होते हुए नहीं देखी। यह कहना सही है कि घटना के बारे में उसे अगले सुबह पता चला था।

16- गवाह पी.ड-5 भीमराज तथा पी.ड-6 चौथमल अभियोजन कहानी का समर्थन नहीं करने के कारण पक्षद्रोही घोषित हुऐ हैं।

17- गवाह पी.ड-7 अल्का चायल ने कथन किया है कि दिनांक 15.05.2019 को उसके मोबाइल फोरेंसिक यूनिट झालावाड़ में कनिष्ट वैज्ञानिक सहायक के पद पर पदस्थापन के दौरान उसके पास पुलिस कंट्रोल रूम झालावाड से फोन आया कि खानपुर के ग्राम भटखेडी में एक पुरूष का लहुलुहान शव पड़ा हुआ है। इस सूचना पर वह घटनास्थल पर पहुंची तो वहां पर एक पुरूष का लहुलुहान शव पडा हुआ था जिसके बायीं आंख, गाल और कान पर गहरी चोटों के निशान थे एवं बायां कान का कुछ हिस्सा कटा हुआ था। शव की शर्ट की बायी पौकेट में बीडी के टुकडे पडे हुए मिले और शव के नीचे व चारों तरफ काफी मात्रा में खून पडा हुआ था। शव से कुछ दूरी पर एक

जोडी चप्पल पडी हुई मिली। घटनास्थल निरीक्षण रिपोर्ट प्र.पी-12 है जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। मौके से उसके द्वारा लिये गये मृतक एवं घटनास्थल से संबंधित फोटोग्राफ क्रमशः प्र.पी-13 लगायत प्र.पी-16 है जिन पर ए से बी उसके हस्ताक्षर हैं। गवाह ने **प्रतिपरीक्षण** में कथन किया है कि वह घटना स्थल पर कितनी बजे पहुंची थी, निश्चित समय याद नहीं है। यह सही है कि प्र.पी-12 पर समय का अंकन नहीं है। यह कहना सही है कि उसके घटना स्थल पर पहुंचने से पहले पुलिस वहां पर पहुंच चुकी थी। यह कहना सही है कि घटना स्थल पर खून आलूदा मिट्टी, सादा मिट्टी, कपडे आदि मृतक के जब्त करने की सलाह पुलिस को उसने ही दी थी। यह कहना गलत है कि उसने मृतक की चप्पल जब्त करने की सलाह पुलिस को नहीं दी हो। अजखुद कहा कि मृतक के पार्चेजात में सभी चीजे सम्मिलित है।

18- गवाह पी.ड-8 भागचंद ने साक्ष्य दी है कि दिनांक 15.05.2010 को उसके एस.पी. ऑफिस के फोटोग्राफी सेल्स में हेड कानि. फोटोग्राफर के पद पर पदस्थापन के दौरान उसने हस्तगत प्रकरण में घटना स्थल व मृतक की फोटोग्राफी की थी, जिसकी फर्द प्र.पी-4 तथा फोटोग्राफी प्र.पी-17 लगायत प्र.पी-22 है, जिनकी पुश्त पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। गवाह ने **प्रतिपरीक्षण** में कथन किया है कि यह कहना सही है कि किस माध्यम से फोटो खींचे गये थे, यह फर्द प्र.पी-4 में अंकित नहीं है।

19- गवाह पी.ड-9 कमलचंद ने कथन किया है कि दिनांक 15.05.2019 को उसके थाना खानपुर में थानाधिकारी के पद पर पदस्थापन के दौरान थाने पर टेलीफोन से सूचना प्राप्त हुई कि रूपाहेड़ा के माल में सुग्रीमा मोग्या निवासी रूपाहेड़ा की लाश पड़ी हुई है। उक्त सूचना पर वह मय जाब्ता रूपाहेड़ा के लिए रवाना हुआ, जहाँ पर श्री राजेन्द्र ने लिखित रिपोर्ट प्र.पी-5

पेश की, जिस पर सी से डी कार्यवाही पुलिस एवं ई से एफ उसके हस्ताक्षर है। उसने मृतक सुग्रीमा के लाश का फर्द पंचायतनामा प्र.पी-1 मूर्तिब करने, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है, सी से डी मोतबीर राजेन्द्र के, ई से एफ बालमुकुंद के, जी से एच राकेश के एवं एक्स स्थान पर धीरप व वाई स्थान पर जोधराज की अगूठा निशानी है। घटना स्थल पर मृतक सुग्रीमा की चप्पल पड़ी हुई थी, जिसे जरिए फर्द जप्ती प्र.पी-2 जब्त किया था, जिस पर ए से बी उसके, सी से डी राजेन्द्र के, ई से एफ मोतबीर बालमुकुंद व एक्स स्थान पर धीरप की अगूठा निशानी है, वाई स्थान पर नमूना सील का अंकन है। उसने घटना स्थल का नक्शा मौका प्र.पी-3 बनाया था, जिस पर ए से बी उसके सी से डी राजेन्द्र ई से एफ बालमुकुंद व एक्स स्थान पर धीरप की अंगूठा निशानी है। उसने मृतक सुग्रीमा की लाश की फोटोग्राफी हैड़ कानि० भागचंद से करवाई थी जिसकी फर्द प्र.पी-4 होकर उस पर सी से डी उसके हस्ताक्षर है। एक्स स्थान पर जोधराज की अगूठा निशानी है, ए से बी हैड़ कानि० भागचंद के हस्ताक्षर, ई से एफ, जी से एच गवाह राजेन्द्र व बालमुकुंद के हस्ताक्षर है। उसने घटना स्थल से खून आलूदा मिट्टी व सादा मिट्टी के सैम्पल लिए थे, जिनकी फर्द प्र.पी-5 है, जिस पर सी से डी गवाह राजेन्द्र, ई से एफ बालमुकुंद, जी से एच उसके हस्ताक्षर है तथा एक्स स्थान पर नमूना सील का अंकन है। उसने मृतक सुग्रीमा की खून आलूदा शर्ट को जरिए फर्द जप्त किया था, जो प्र.पी-7 है, जिस पर ए से बी गवाह रिंकेश के, सी से डी बालमुकुंद के, ई से एफ राजेन्द्र और जी से एच उसके हस्ताक्षर तथा एक्स स्थान पर नमूना सील का अंकन है, मृतक का पोस्ट मार्टम करवाया था। बाद पोस्ट मार्टम मृतक की लाश अंतिम संस्कार हेतु मृतक के भतीजे राजेन्द्र को सुपुर्द की थी, जिसकी

फर्द प्र.पी-8 है जिस पर ए से बी गवाह रिंकेश के, सी से डी बालमुकुंद के, ई से एफ राजेन्द्र के, जी से एच उसके हस्ताक्षर है।

20- गवाह पी.ड-9 कमलचंद ने आगे कथन किया है कि उसने गवाहान के बयान उनके कथनानुसार लेखबद्व किये। उसने प्रकरण में घटना स्थल पर मोबाईल फोरेंसिक यूनिट झालावाड़ को बुलाया था, जिसने अपनी रिपोर्ट उसे दी थी, जो प्र.पी-12 है। प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी-22 होने, मृतक सुग्रीमा मोग्या की पहनी हुई शर्ट से पांच रूपए का सिक्का, 10 रूपए का सिक्का व पांच बीड़िया टूटी हुई मिली थी, जिसकी फर्द प्र.पी-23 होने, जिस पर ए से बीसी से डी बालमुकुंद राजेन्द्र के हस्ताक्षर है, ई से एफ उसके हस्ताक्षर है, एक्स स्थान पर नमूना सील का अंकन है। मृतक की पोस्ट मार्टम रिपोर्ट प्र.पी-24 है। उसने प्रकरण में अभियुक्त हंसराज, कजोड़मल को गिरफ्तार किया था, फर्द गिरफ्तारी अभियुक्त हंसराज प्र.पी-25, फर्द गिरफ्तारी अभियुक्त राजेन्द्र प्र.पी-26 एवं फर्द गिरफ्तारी अभियुक्त कजोड़मल प्र.पी-27 है, जिन पर ए से बी उसके, सी से डी लालाराम के, ई से एफ जितेन्द्र एवं जी से एच अभियुक्तगण के हस्ताक्षर है। एक्स स्थान पर गिरफ्तारी की सूचना धीरप को दी थी जिसकी अगूठा निशानी है। अभियुक्त राजू उर्फ राजेन्द्र ने धारा-27 साक्ष्य अधिनियम के तहत सूचना दी थी कि जिस स्थान पर उन्होंने सुग्रीमा के साथ मारपीट की थी, वह स्थान चलकर बता सकते है। अभियुक्त हंसराज द्वारा दी गयी सूचना प्र.पी-28, अभियुक्त कजोड़ उर्फ बालमुकुंद द्वारा दी गयी सूचना प्र.पी-29, राजू उर्फ राजेन्द्र द्वारा दी गयी सूचना प्र.पी-30 है जिस पर ए से बी उसके व सी से डी अभियुक्तगण के हस्ताक्षर है। उक्त सूचना पर घटना स्थल का मौका प्र.पी-31 बनाया था, जिस पर ए से बी उसके, सी से डी, ई से एफ, जी से एच अभियुक्तगण के हस्ताक्षर है।

21- गवाह पी.ड-9 कमलचंद ने आगे कथन किया है कि अभियुक्त हंसराज ने सूचना दी थी कि उसने तथा उसके काका के पुत्र राजू उर्फ राजेन्द्र मोग्या, कजोड़ उर्फ बालमुकुंद मोग्या ने उसके गाँव रूपाहेड़ा व भटखेड़ी के मध्य पैलियाखाल के उपर भटखेड़ी के रास्ते पर उसके काका सुग्रीमा मोग्या के साथ मारपीट कर उसका मर्डर किया था, उस समय उसके पास कुल्हाड़ी थी जिससे उसने उसके काका सुग्रीमा के साथ मारपीट की थी, वह कुल्हाड़ी उसने उसके घर पर ही लोहे के बक्से के नीचे छिपा कर रखी है, जिसको वह बरामद करा सकता है, जो प्र.पी-32 है, जिस पर ए से बी उसके व सी से डी अभियुक्त के हस्ताक्षर है। उक्त सूचना पर अभियुक्त अपने घर रूपाहेड़ा लेकर गया एवं एक कुल्हाड़ी बरामद करवाई, जिसकी फर्द प्र.पी-33 है जिस पर ए से बी उसके, सी से डी अभियुक्त हंसराज के, ई से एफ दिनेश कुमार के एवं जी से एच लालाराम के हस्ताक्षर है तथा एक्स स्थान पर नमूना सील का अंकन है। बरामदगी स्थल का नक्शा मौका प्र.पी-34 है, जिस पर ए से बी उसके, सी से डी अभियुक्त हंसराज के, ई से एफ दिनेश कुमार के, जी से एच लालाराम के हस्ताक्षर है। अभियुक्त कजोड़ उर्फ बालमुकुंद ने सूचना दी कि उसने, हंसराज तथा राजेन्द्र ने उसके काका सुग्रीमा के साथ मारपीट की थी, जिसमें उसने लोहे के कूटिये से मारपीट की थी, वह कूटिया उसने उसके भाई राजू उर्फ राजेन्द्र के घर पर जानवर बांधने वाले कच्चे मकान में किवाड़ के पीछे छिपाकर रखा है, चलकर बरामद कराना चाहता हूँ, फर्द सूचना प्र.पी-35 है, जिस पर ए से बी उसके, सी से डी अभियुक्त कजोड उर्फ बालमुकुंद के हस्ताक्षर है। उक्त सूचना पर अभियुक्त ने राजेन्द्र के घर जानवर बांधने के कच्चे कैलूपोश मकान में प्रवेश कर लोहे का धारदार कूटिया पेश किया, जिसे जरिए फर्द प्र.पी-36 के जब्त किया, जिस पर ए से बी उसके सी से डी बालमुकुंद के, ई

से एफ दिनेश और जी से एच लालाराम के हस्ताक्षर है। एक्स स्थान पर नमूना सील का अंकन है। बरामदगी स्थल का नक्शा मौका प्र.पी-37 है जिस पर ए से बी उसके, सी से डी अभियुक्त बालमुकुंद के, ई से एफ दिनेश के, जी से एच लालाराम के हस्ताक्षर है। अभियुक्त राजू उर्फ राजेन्द्र ने सूचना दी कि उसने, हंसराज, बालमुकुंद व कजोड़ ने सुग्रीमा के साथ मारपीट की थी, उस समय उसके पास बांस की लकड़ी थी, वह लकड़ी उसने उसके घर पर धान से भरी लोहे की टंकी के पीछे छिपाकर रखी है, चलकर बरामद कराना चाहता हूँ, फर्द सूचना प्र.पी-38 है जिस पर ए से बी उसके, सी से डी अभियुक्त राजू उर्फ राजेन्द्र के हस्ताक्षर है। उक्त सूचना पर अभियुक्त ने आगे-आगे चलकर स्वयं के मकान से एक बांस की लकड़ी पेश की, जिसे जरिए फर्द प्र.पी-39 जब्त किया, जिस पर ए से बी उसके, सी से डी राजू उर्फ राजेन्द्र के, ई से एफ दिनेश के और जी से एच लालाराम के हस्ताक्षर है। एक्स स्थान पर नमूना सील का अंकन है। उक्त बरामदगी स्थल का नक्शा मौका प्र.पी-40 है, जिस पर ए से बी उसके, सी से डी अभियुक्त राजू उर्फ राजेन्द्र के, ई से एफ दिनेश के, जी से एच लालाराम के हस्ताक्षर है। प्रकरण में उसने गवाह रिंकेश बावरी के बयान करवाने हेतु जे०एम० कोर्ट झालावाड़ में प्रार्थना पत्र पेश किया था, जो प्र.पी-41 है जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। जप्तशुदा आर्टिकल को विधि विज्ञान प्रयोगशाला कोटा में जमा कराने हेतु उसके द्वारा थाने से अग्रेषण पत्र तैयार किया था, जो कि प्र.पी-42 है जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है व सी से डी विशेष वाहक राजेन्द्र सिंह के हस्ताक्षर है। जमा रसीद प्र.पी-43 है जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। टेलीफोन से सूचना प्राप्त होने पर थाने से घटना स्थल पर रवाना होने की रपट प्र.पी-44 है, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। एफ०आई०आर० दर्ज होने की रोजनामचा रपट प्र.पी-46 है। कानि० राजेन्द्र

एफ०एस०एल० के लिए रवाना हुआ था, जिसकी रपट प्र.पी-47 है। माल जमा करवाकर राजेन्द्र कानि० वापस आया जिसकी रोजनामचा रपट प्र.पी-48 है। प्रकरण में जप्तशुदा माल को मालखाने में जमा किया था। मूल मालखाना रजिस्टर प्र.पी-49 है, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। एफ०एस०एल० रिपोर्ट प्र.पी-50 है। सीरोलॉजी रिपोर्ट प्र.पी-51 है। जप्तशुदा पैकेट मार्क ए खून आलूदा मिट्टी है व मार्क बी सादा मिट्टी जो एफ०एस०एल० की सील्ड है जो आर्टीकल-01 है जिसमें मिली थैली आर्टीकल-01ए व 01 बी है जिसे खोला गया। सील्डशुदा पैकेट मार्क ई को खोला गया जिसमें मृतक सुग्रीमा मोग्या की खून आलूदा शर्ट है जो आर्टीकल-02 है। खून आलूदा शर्ट जो आर्टीकल-02ए है। सील्डशुदा पैकेट मार्क एक्स है जिसे खोला गया जिसमें एक लोहे की कुल्हाड़ी लकड़ी पर लगी हुई है जो आर्टीकल-03 है। सील्डशुदा पैकेट मार्क वाई को खोला गया जिसमें एक लोहे का कूटिया लकड़ी पर लगा हुआ है जो आर्टीकल-04 है। मार्क जेड़ बास की लकड़ी जो आर्टीकल-05 है। प्रकरण में बाद अनुसंधान अभियुक्तगण हंसराज, राजेन्द्र उर्फ राजू मोग्या एवं कजोड़ उर्फ बालमुकुंद मोग्या के विरूद्ध धारा 302/34 भा०द०सं० व धारा 4/25 आर्म्स एक्ट में आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया था। गवाह ने **प्रतिपरीक्षण** में कथन किया है कि यह कहना सही है कि घटनास्थल पर वे पहुंचे, उससे पहले करीब 25-30 लोगों की भीड मौजूद थी। यह सही है कि मौके पर रिंकेश पुत्र रमेशचंद मोंगिया बागरी राजेन्द्र, भीमराज, सुलोचना, कर्माबाई, भूरीबाई, चौथमल पहले से मौजूद थे। उसने इन लोगों से मौके पर मौखिक पूछताछ की थी, बयान नहीं लिए थे। यह कहना सही है कि उसने घटना वाले दिन दिनांक 15.05.2019 को मौके पर लाश का पंचनामा बनाया था, उसमें राजेन्द्र, धीरप, रिंकेश, बालमुकंद, जोधराज को पंचनामा का गवाह बनाया था। प्र.पी-5 उसके

समक्ष ही लिखी गई थी, परंतु किसने लिखी, उसका उसे आज ध्यान नहीं है। लिखित रिपोर्ट प्र.पी-5 रिंकेश पुत्र रमेशचंद मोंगिया ने लिखी थी, जिसे उसने बाद में गवाह बनाया था। प्र.पी-5 पर रिंकेश के हस्ताक्षर है। यह कहना सही है कि लिखित रिपोर्ट प्र.पी-5 में हत्या करने वालों के नाम अंकित नहीं है। यह सही है कि मौके पर रिंकेश ने उसे मुल्जिमान के नाम उस समय नहीं बताए थे। यह सही है कि उसने मौके पर रिंकेश के बयान नहीं लिए थे व मौके पर मौजूद किसी भी गवाह के बयान उस दिन नहीं लिये थे। यह सही है कि घटना वाले दिन रिंकेश ने मुल्जिमान के बारे में उसे कुछ नहीं बताया था। यह कहना गलत है कि प्र.डी-1 रिंकेश का बयान उसने अपनी मर्जी से लिखा हो। यह कहना भी गलत है कि रिंकेश को उसने बाद में झूठा गवाह बनाया हो। यह सही है कि डीएनए परीक्षण हेतु उसने मृतक व मुल्जिमान का सैम्पल नहीं लिया था। यह सही है कि घटना वाले दिन मौके पर राजेन्द्र भीमराज, सुलोचना, कर्माबाई, भूरीबाई से पूछताछ के दौरान इन लोगों ने मुल्जिमान का नाम नहीं बताया था। यह सही है कि नक्शा मौका उसने घटना वाले दिन बनाया था। यह सही है कि जब वह मौके पर पहुंचा, उस समय घटनास्थल का मौका घटना के दिन शाम को बनाया था। मौके से कोई फुट प्रिन्ट नहीं लिए गए हो। यह सही है कि मौके पर लाश के आस पास फुट प्रिन्ट भी मौजूद थे। थाने से घटनास्थल की दूरी लगभग 6-7 किलोमीटर रही होगी। यह कहना सही है कि फर्द सूचना प्र.पी-28,29,30 पर किसी गवाह के हस्ताक्षर नहीं है। मुल्जिमानों को वे गांव से घर से लेकर आए थे। फिर पूछताछ कर गिरफतार किया था। यह सही है कि उसने गवाहान रिंकेश, राजेन्द्र, भीमराज, सुलोचना, कर्माबाई, भूरीबाई से मौके पर पूछताछ की थी। उस समय इन गवाहान ने मुल्जिमान के नाम उसे नहीं बताए थे तथा हत्या किसने की, यह उस समय

उसे पता नहीं चला था। उसने घटनास्थल के आसपास वालों से मौखिक पूछताछ की थी, लिखित में कोई बयान नहीं लिए। फर्द सूचना प्र.पी-32, 33 व 35 पर किसी भी गवाह के हस्ताक्षर नहीं हैं। यह सही है कि हथियार बरामदगी के बारे में सूचना मिलने पर बरामदगी हेतु थाने से निकलते समय किसी भी स्वतंत्र गवाह को साथ नहीं लिया था। यह कहना गलत है कि दिनांक 19 व 20 को हथियार बरामदगी के लिए निकले, उस समय रवानगी नहीं डाली हो। यह कहना गलत है कि फर्द प्र.पी-32, 33, 28, 29, 30 व 35 पर अभियुक्तों को डरा धमका कर हस्ताक्षर करा लिए हो, उन्होने कोई सूचना नहीं दी हो। यह सही है कि मकान पर ताला लगाने वाली बात प्र.पी-33 व 34 में अंकन करने से रह गई थी। यह कहना गलत है कि अभियुक्त हंसराज ने कोई कुल्हाडी बरामद न करवाई हो यह कहना भी गलत है कि प्र.पी-34 में वर्णित बरामदगी स्थल का स्वामी हंसराज न हो। यह सही है कि प्र.पी-37 में वर्णित बरामदगी स्थल रिहायशी एरिया में है, वहां लोगबाग रहते हैं। स्वतंत्र गवाह को इसलिए नहीं बुलाया, क्योंकि उस सयम वहां कोई नहीं था। यह सही है कि वे बरामदगी स्थल पर पहुंचे तो वहां कोई नहीं था। यह सही है कि बाडे में कुंदी लगी हुई थी। यह कहना गलत है कि बाडा ओपन प्लेस हो और वहां कोई भी आ जा सकता हो। यह कहना गलत है कि प्र.पी-34, 35, 36, 37 व 39, 40 थाने पर बैठकर बनाए हो। यह कहना गलत है कि कजोड व बालमुकद ने लोहे का कूटिया बरामद न कराया हो। यह कहना भी गलत है कि डरा धमका कर फर्दों पर हस्ताक्षर करा लिए हों। यह सही है कि बरामदगी स्थल प्र.पी-40 में वर्णित मकान रिहायशी एरिया में स्थित है। यह सही है कि प्र.पी-40 में वर्णित बरामदगी स्थल मकान के स्वामित्व के संबंध में कोई दस्तावेज प्राप्त नहीं किया था। यह कहना गलत है कि अभियुक्तगण ने हत्या

नहीं की हो, उसने उन्हें झूठा फंसाया हो। यह कहना भी गलत है कि वह आज झूठे बयान दे रहा हो।

22- गवाह पी.ड-10 लालाराम ने कथन किया है कि दिनांक 18.05.2019 को उसके थाना खानपुर में कानि० के पद पर पदस्थापन के दौरान हस्तगत प्रकरण में कमलचंद मीणा ने उसके व जितेन्द्र कानि० के समक्ष मुलजिमान हंसराज, राजेन्द्र उर्फ राजू व कजोड़ उर्फ बालमुकुन्द को जरिये फर्द प.प्र.पी-25 लगायत प्र.पी-27 गिरफ्तार किया था, जिन पर उसके सी से डी हस्ताक्षर है। दिनाक 19.05.2019 को मुलजिमान हंसराज, राजू, कजोड़ ने अनुसंधान अधिकारी को धारा 27 साक्ष्य अधिनियम के तहत ग्राम रूपाहेड़ा के पास पैलीया खाल पर मुताबिक सूचना के ले चलकर आई०ओ० को घटना स्थल तस्दीक कार्यवाही करवाई थी, तब अनुसंधान अधिकारी ने उसने व उसके साथी हनुमान कानि० 33 के समक्ष मुलजिमान की निशानदेही से तस्दीक घटना स्थल कार्यवाही कर फर्द नक्शा मौका प्र.पी-31 बनाया था, जिसपर आई से जे उसके हस्ताक्षर है। दिनांक 20.09.2019 को मुलजिम हंसराज मोग्या ने मुताबिक सूचना धारा 27 साक्ष्य अधिनियम के तहत उसके निवास स्थान पर स्थित कवेलू पोस कमरे में रखे लोहे के बक्से के नीचे से आलाए कत्ल लौहे की कुल्हाड़ी बरामद करवाई थी। अनुसंधान अधिकारी ने उसके समक्ष जरिये फर्द जब्त किया था। कुल्हाड़ी की फर्द बरामदगी प्र.पी-33 है, जिसपर जी से एच उसके हस्ताक्षर है तथा बाद बरामदगी स्थल का नक्शा मौका प्र.पी-34 है, जिसपर जी से एच उसके हस्ताक्षर है। मुलजिम कजोड उर्फ बालमुकुन्द ने मुताबिक सूचना अपने भाई राजेन्द्र उर्फ राजू के मकान के सामने स्थित जानवर बांधने का कच्चा कवेलू पोस मकान में पूर्वी दिशा के दरवाजे के पीछे से आलाए कत्ल एक लौहे का धारदार कुटिया बरामद करवाया

था, जो अनुसंधान अधिकारी ने उसके समक्ष जब्त किया था। अनुसंधान अधिकारी ने फर्द बरामदगी कुटिया प्र.पी-36 तैयार की थी, जिस पर जी से एच उसके हस्ताक्षर हैं। मुलजिम कजोड से बरामद कुटिया की बरामदगी स्थल का नक्शा मौका प्र.पी-37 तैयार किया था, जिस पर उसके जी से एच हस्ताक्षर है। मुलजिम राजू उर्फ राजेन्द्र ने मुताबिक सुचना उसके निवास स्थान रिहायशी मकान में चादर पोश कमरे से एक लकडी आला ए कत्ल बरामद करवाई थी, जिसे जरिये फर्द प्र.पी-39 जब्त किया था, जिस पर जी से एच उसके हस्ताक्षर हैं। मुलजिम राजेन्द्र से बरामद आला ए कत्ल लकड़ी के बरामदगी स्थल का अनुसंधान अधिकारी ने नक्शा मौका प्र.पी-40 बनाया था, जिस पर जी से एच उसके हस्ताक्षर हैं। मुलजिमान हसराज, कजोड उर्फ बालमुकन्द, व राजू उर्फ राजेन्द्र से बरामद आला ए कत्ल क्रमशः लोहे की कुल्हाडी, लौहे का कुटिया व बांस की लकडी पर खून जैसे पदार्थ के धब्बे नजर आ रहे थे। गवाह ने **प्रतिपरीक्षण** में कथन किया है कि यह कहना सही है कि मुलजिमान गिरफतारी से पूर्व थाने पर ही थे, अजखुद कहा कि आई०ओ० ने मुलजिमान से अनुसंधान या पूछताछ कर जुर्म प्रमाणित पाए जाने पर थाने से गिरफतार किया था। यह कहना सही है कि जुर्म प्रमाणित पाए जाने बाबत उसने कोई दस्तावेज नहीं देखा था। अजखुद कहा कि मुलजिमान की फर्द गिरफतारी में मुलजिमान के खिलाफ जुर्म प्रमाणित पाए जाने के संबंध में आई०ओ० ने धारा अंकित कर रखी है। यह कहना सही है कि फर्द प्र.पी-25,26,27 बनाते समय धीरप थाने पर ही मौजूद था। स्वयं कहा कि जिसे मुलजिमान की गिरफतारी की सुचना से अवगत कराया था। यह कहना सही है कि थाने में गिरफतारी से पूर्व कितने समय से मुलजिमान को बिठा रखा था इस बात की उसे जानकारी नहीं है। यह कहना सही है कि ग्रामीण परिवेश में

लौहे की कुल्हाडी अमुमन हर घर मे मिल जाती है। यह कहना सही है कि मौके पर तैयार फर्दो में जो सील लगाई गई है, वह व्यक्तिगत सील नही है, थाना खानपुर की सील मोहर है। यह कहना सही है कि फर्द प्र.पी-36 में कुटिया पर लगी लकडी की मोटाई का नाप फर्द में उल्लेखित नही है। यह कहना गलत है कि सारी फर्दे उनके द्वारा थाने पर बैठकर बनाई गई हो। यह कहना गलत है कि मुलजिमान के द्वारा उन्हें कोई सुचना नही दी हो और बाद में दबाव देकर फर्दो पर हस्ताक्षर करवा लिए हो। यह कहना गलत है कि सारी फर्दे उसने थाने पर बैठकर बनाई हो।

23- गवाह पी.ड-11 जितेन्द्र सिंह ने कथन किया है कि दिनांक 18.05.2020 को उसके पुलिस थाना खानपुर में कानि. के पद पर पदस्थापन के दौरान हस्तगत प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी द्वारा अभियुक्तगण हंसराज मोगिया, राजेन्द्र उर्फ राजू मोगिया, कजोड उर्फ बालचन्द मोगिया को जरिये फर्द प्र.पी-25 लगायत प्र.पी-27 गिरफ्तार करने तथा उक्त फर्दात पर अपने हस्ताक्षरों को स्वीकार करते हुए प्रदर्शित करवाया है। गवाह ने **प्रतिपरीक्षण** में कथन किया है कि वक्त गिरफ्तारी मुलजिमान की तलाशी किसके द्वारा ली गई, उसे ध्यान नहीं है। किस मुलजिमान की गिरफ्तारी की सूचना किस परिजन को दी गई, उसे आज याद नहीं है।

24- गवाह पी.ड-12 डॉ. धीरेन्द्र गोपाल मिश्रा ने कथन किया है कि उसके दिनांक 15.05.2019 को सीएचसी खानपुर पर वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी के पद पर पदस्थापन के दौरान थाना खानपुर के प्रतिवेदन पर मृतक सुग्रीमा मोग्या के शव का परीक्षण किया था। बोर्ड मेम्बर में वह स्वयं तथा दिनेश पाल यादव चिकित्सा अधिकारी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द खानपुर थे। व्यक्ति की मृत्यु 12 से 24 घण्टे के भीतर हुई थी। उसकी दाहिनी आंख बंद व बाई

आंख खुली हुई थी। नाक से व बाए कान से खून आ रहा था। चोट संख्या-1. कटा हुआ घाव 7 सेमी लम्बा 1 सेमी चौडा व 2 सेमी गहरा बाएं कान के पास से नाक तक था। चोट नम्बर 2. कटा हुआ घाव 3 गुणा 3 गुणा 2 सेमी बाए कान के पास। चोट संख्या 3. बाया कान आधा कटा हुआ था, जो की संभवतः किसी जानवर के काटने से हुआ था। चोट संख्या 4. फटा हुआ घाव 5 गुणा 2 सेमी सिर में दाहिनी तरफ। चोट संख्या 5 बांए कन्धे पर फेक्चर विजिबल था तथा एक जबडे पर फ्रेक्चर था। सिर के अन्दरूनी जांच करने पर पाया गया कि सिर में दाई तरफ 3 गुणा 2 सेमी का फटा हुआ घाव था और सिर की हड्डी टूटी हुई थी। सिर में दाई तरफ खून का थक्का जमा हुआ था। उनकी राय में सुग्रीमा की मृत्यु सिर पर गंभीर चोट व मल्टीपल फ्रेक्चर की वजह से हुई थी। चोट प्रतिवेदन प्र.पी-24 पर ए से बी उसके हस्ताक्षर तथा सी से डी उनकी राय व ई से एफ डॉक्टर दिनेश पाल यादव के हस्ताक्षर है। गवाह ने **प्रतिपरीक्षण** में कथन किया है कि यह सही है कि चोटें कठोर धरातल पर गिरने से आ सकती है। चोटें एन्टीमार्टम थी। उसने मृतक का डीएनए प्रोफाईल हेतु सेम्पल नहीं लिया था। उसने मृतक का ब्लड सेम्पल भी नहीं लिया था। मृतक के चोटें कैसे आई, उसे पता नहीं है।

25- गवाह पी.ड-13 मदनलाल ने कथन किया है कि उसके दिनांक 15.05.2019 को पुलिस थाना खानपुर में हेड कानि. के पद पर पदस्थापन के दौरान वह थाना इन्चार्ज था। उस दिन भगुता कानि. ने थानाधिकारी के आदेशानुसार राजेन्द्र का प्रार्थना पत्र पेश किये जाने पर उसके द्वारा मुकदमा संख्या-143/2019 दर्ज कर अनुसंधान कमलचंद मीणा, सी.आई. थाना खानपुर के सुपुर्द किया। गवाह ने तहरीरी रिपोर्ट प्र.पी-5 तथा चॉक एफ.आई.आर. प्र.पी-22 पर अपने हस्ताक्षरों को स्वीकार करते हुए प्रदर्शित करवाया है। गवाह

ने **प्रतिपरीक्षण** में कथन किया है कि यह कहना गलत है कि घटना स्थल से, अस्पताल से सारी कार्यवाही करने के उपरांत थानाधिकारी ने थाने पर आकर एफआईआर चाक की हो।

26- गवाह पी.ड-14 भगुता गुर्जर ने कथन किया है कि दिनांक 15.05.2019 को उसके पुलिस थाना खानपुर में कानि. के पद पर पदस्थापन के दौरान पुलिस थाना खानपुर में सूचना प्राप्त हुई कि रूपाहेडा के माल में सुग्रीमा मोगिया की लाश पडी है। इस सूचना पर वह थानाधिकारी के साथ जाब्ता में घटना स्थल पर पहुंचे, जहां पर सुग्रीमा के भतीजे राजेन्द ने एक प्रार्थना पत्र पेश किया, जिसे थानाधिकारी ने थाने पर ले जाने के लिये दिया, जिसे उसने थाने पर लाकर दिया तो थाना इन्चार्ज मदनलाल ने प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या-143/2019 दर्ज की तथा मूल केस डायरी उसने सीएचसी, खानपुर में थानाधिाकारी के सुपुर्द की। गवाह ने तहरीरी रिपोर्ट प्र.पी-5 तथा चॉक एफ.आई.आर.प्र.पी-22 पर अपने हस्ताक्षरों को स्वीकार करते हुए प्रदर्शित करवाया है। गवाह ने **प्रतिपरीक्षण** में कथन किया है कि उसे 10.15 पर घटना स्थल से थानाधिकारी ने तहरीरी रिपोर्ट प्र.पी-5 देकर रवाना किया था। थानेदार जी को फरियादी ने रिपोर्ट कितनी बजे दी, उसे पता नहीं है। उसे एसएचओ ने सूचित किया था कि वे अस्पताल आ गये हैं। यह कहना गलत है कि घटना स्थल व अस्पताल पर सारी कार्यवाही करने के बाद रिपोर्ट प्र.पी-5 दर्ज की हो।

27- गवाह पी.ड-15 दिनेश मीणा ने कथन किया है कि दिनांक 20.05.2019 को उसके पुलिस थाना खानपुर में कानि. के पद पर पदस्थापन के दौरान थाना खानपुर के प्रकरण संख्या-143/2019 में वह अनुसंधान अधिकारी कमलचंद के साथ मुलजिम हंसराज मोग्या की धारा-27 साक्ष्य

अधिनियम की सूचना पर उसके निवास स्थान पर गये, जहां पर हंसराज ने कवेलू पोस कमरे में रखे लोहे के बक्से के नीचे ऐ आलाए कत्ल लोहे की कुल्हाडी बरामद करवाई, जिसे जरिये फर्द जब्ती प्र.पी-33 के जब्त कर बरामदगी स्थल का नक्शा मौका प्र.पी-34 बनाया, जिन ई से एफ उसके हस्ताक्षर है। अभियुक्त कजोड उर्फ बालमुकुन्द की सूचना पर उसके भाई राजेन्द्र उर्फ राजू के मकान के सामने स्थित जानवर बांधने के बच्चे कवेलू पोश मकान में पूर्वी दिशा के दरवाजे के पीछे से अलाय कत्ल एक लोहे का धारदार कूटिया जरिये फर्द प्र.पी-36 जब्त किया तथा बरामदगी स्थल का नक्शा मौका प्र.पी-37 बनाया, जिन पर उसके ई से एफ अपने हस्ताक्षर है। अभियुक्त राजू उर्फ राजेन्द्र की सूचना पर उसके रिहायशी मकान में चददर पोश कमरे में रखी लोहे की गोल टंकी के पीछे से एक लकडी आलाए कत्ल जरिये फर्द प्र.पी-39 जब्त कर बरामदगी स्थल का नक्शा मौका प्र.पी-40 बनाने तथा इन पर ई से एफ उसके हस्ताक्षर है। गवाह ने **प्रतिपरीक्षण** में कथन किया है कि यह कहना सही है कि फर्द प्र.पी-33, 34, 36, 37, 39 व 40 पर कोई स्वतंत्र गवाह नहीं है। सभी गवाह पुलिस वाले हैं। यह सही है कि उनके द्वारा बरामदशुदा लकड़ी नापी थी, जिसकी लंबाई चौडाई 4 फीट 4 इंच के लगभग थी। यह कहना सही है कि सारी कार्यवाही घटनास्थल पर की गयी, किन्तु किसी को स्वतंत्र गवाह नहीं बनाया। प्र.पी-33 में जो मकान या कमरा था, किसका था, इस संबंध में कोई दस्तावेज न तो देखे न लिए। यह कहना सही है कि गांव में हर घर में सामन्यतया कुल्हाडी मिल जाती है। यह कहना सही कि बरामदशुदा बांस की लकडी गांव में आसानी से मिल जाती है। वक्त बरामदगी घर में कोई नहीं था। यह कहना गलत है कि उनके द्वारा बरामदगी नहीं की गयी हो। यह कहना

गलत है कि सारी फर्दे थाने पर बैठकर तैयार की हो और उन पर दबाव देकर मुल्जिमान के हस्ताक्षर करा लिए गए हो।

28- गवाह पी.ड-16 कर्मा बाई ने कथन किया है कि उसके पिता सुग्रीमा की लाश भाटाखेडी के माल में मिली थी। उसके ताउजी के पुत्र हंसराज वगैराह उसके पितजी से रंजिश रखे थे। गवाह ने **प्रतिपरीक्षण** में कथन किया है कि यह कहना गलत है कि उन्हें हंसराज मोग्या पर शक हो कि उसने उनके पिता की हत्या की हो। यह भी कहना गलत है कि हंसराज और उसके साथी उसके पिताजी से रंजिश रखते हो। यह बात सही है कि उसके पिताजी के उपर इस बाबत केस भी चला था। यह कहना गलत है कि इसी कारण हंसराज उसके पिताजी से रंजिश रखता हो।

29- गवाह पी.ड-17 सुलोचना बाई ने कथन किया है कि उसके पिता सुग्रीमा की लाश भाटाखेडी के माल में मिली थी। उसके ताउजी के पुत्र हंसराज वगैराह उसके पितजी से रंजिश रखे थे। गवाह ने **प्रतिपरीक्षण** में कथन किया है कि यह कहना गलत है कि उन्हें हंसराज मोग्या पर शक हो कि उसने उनके पित की हत्या की हो। यह भी कहना गलत है कि हंसराज और उसके साथी उसके पिताजी से रंजिश रखते हो। यह बात सही है कि उसके पिताजी के हाथ से उनके बडे भाई गोपाल जी की मौत हो गई थी और उसके पिताजी के उपर इस बाबत केस भी चला था।

30- गवाह पी.ड-18 भूरी बाई ने कथन किया है कि उसके पिता सुग्रीमा की लाश भाटाखेडी के माल में मिली थी। उसके ताउजी के पुत्र हंसराज वगैराह उसके पितजी से रंजिश रखे थे। गवाह ने **प्रतिपरीक्षण** में कथन किया है कि यह कहना गलत है कि उन्हें हंसराज मोग्या पर शक हो कि उसने उनके पित की हत्या की हो। यह भी कहना गलत है कि हंसराज और उसके साथी

उसके पिताजी से रंजिश रखते हो। यह बात सही है कि उसके पिताजी के हाथ से उनके बडे भाई गोपाल जी की मौत हो गई थी और उसके पिताजी के उपर इस बाबत केस भी चला था। यह कहना गलत है कि इसी कारण हंसराज उसके पिताजी से रंजिश रखता हो।

31- गवाह पी.ड-19 राजेन्द्र सिंह ने कथन किया है कि दिनांक 27.05.2019 को उसके पुलिस थाना खानपुर में कानि. के पद पर पदस्थापन के दौरान प्रकरण संख्या-143/2019 में जब्तशुदा 6 पैकिट मार्क ए, बी, ई, एक्स, वाई, जेड को एफएसएल कोटा में जमा करवाने हेतु मालखाना इन्चार्ज ने उसे मय कागजात के दिये थे, जिनको लेकर वह एस.पी. ऑफिस, झालावाड आया तथा वहां से अग्रेषण पत्र तैयार करवाकर अगले दिनसभी पैकिटों को एफएसएल में जमा करवाकर रसीद लाकर थाने पर दी। गवाह ने थाने का अग्रेषण पत्र प्र.पी-42 तथा एफएसएल प्राप्ति रसीद प्र.पी-43 होना कथन किया है। गवाह ने **प्रतिपरीक्षण** में कथन किया है कि यह कहना सही है कि पुलिस अधीक्षक कार्यालय का अग्रेषण पत्र पत्रावली पर मौजूद नहीं है। यह कहना गलत है कि वह पुलिस अधीक्षक कार्यालय से कोई माल एफएसएल जमा करवाने हेतु लेकर ही न गया हो। यह कहना गलत है कि माल उसे खुली अवस्था में मिला हो।

32- गवाह पी.ड-20 हनुमान ने कथन किया है कि दिनांक 19.05.2019 को उसके पुलिस थाना खानपुर में कानि. के पद पर पदस्थापन के दौरान पुलिस थाना खानपुर के प्रकरण संख्या-143/2019 में अनुसंधान अधिकारी कमलचंद मीणा ने मुलजिमान हंसराज, कजोड, राजू की निशादेही से घटना स्थल का नक्शा मौका प्र.पी-31 बनाने तथा इस पर अपने के से एफ अपने हस्ताक्षरो को स्वीकार करते हुए प्रदर्शित करवाया है। गवाह ने

प्रतिपरीक्षण में कथन किया है कि यह कहना गलत है कि मुलजिमान ने कोई सूचना नहीं दी हो और उन्होंने कोई घटना स्थल की तस्दीक नहीं करवाई हो। यह कहना गलत है कि प्र.पी-31 थाने पर बैठकर बनाया गया हो। यह बात सही है कि प्र.पी-31 बनाने से पूर्व भी घटनास्थल पर वे लोग जा चुके थे।

33- गवाह पी.ड-21 जगदीशराम ने कथन किया है कि दिनांक 15.05.2019 को उसके थाना खानपुर पर हैड कानि के पद पर पदस्थापन के दौरान उसके पास मालखाने का चार्ज था। उस दिन प्रकरण संख्या-143/2019, धारा-32 आईपीसी में कमलचन्द थानाधिकारी ने पांच पैकेट ए, बी, सी ई जमा मालखाना कराये थे। मार्क ए व बी में खून आलूदा व सादा मिटटी, मार्क बी में दस रूपये, पांच रूपये व मृतक सुग्रीमा की शर्ट की जेब में टूटी हुई बीडियां 1 बंडल, मार्क डी में मृतक सुग्रीमा की चप्पल, मार्क ई में खून आलूदा शर्ट है। पांचो पैकेट जमा मालखाना कराये थे, जिसे उसने जमा मालखाना किया। दिनांक 20.05.2019 को मुल्जिम हंसराज मोगिया से आला ए कत्ल हथियार एक कुल्हाडी लकडी पर लगी हुई मार्क एक्स व मुल्जिम कजोड उर्फ बालमुकुंद से अला ए कत्ल हथियार एक लोहे का कूटिया लकडी पर लगा हुआ मार्क वाई व मुल्जिम राजू से बरामद अला-ए कत्ल हथियार एक बांस लकडी मार्क जेड कमलचंद एसएचओ ने जब्त कर जमा मालखाना कराये थे, जिन्हें उसने जमा मालखाना किया था। दिनांक 27.05.2019 को सील्डशुदा पैकेट मार्क ए बी ई एक्स वाई जेड मय अग्रेषण पत्र रासायनिक परीक्षण हेतु राजेन्द्र सिंह कानि को देकर एफएसएल कोटा जमा कराने हेतु मार्फत एसपी साहब झालावाड के रवाना किया था। राजेन्द्र कानि ने छः पैकेट एफएसएल में जमा कराकर रसीद लाकर पेश की थी, जिसका उसने मालखाना रजिस्टर में इन्द्राज कर रसीद अनुसंधान अधिकारी को संभला दी थी। गवाह ने मालखाना रजिस्टर प्र.पी-39 पर अपने

हस्ताक्षरों को स्वीकार करते हुए प्रदर्शित करवाया है। गवाह ने **प्रतिपरीक्षण** में कथन किया है कि यह कहना गलत है कि माल जमा कराने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर असल मालखाना रजिस्टर पर न हो। यह सही है कि मालखाना रजिस्टर में माल जमा करने का समय अंकित नहीं है। यह कहना गलत है कि माल सीलबंद हालत में प्राप्त न हुआ हो।

34- पत्रावली पर अभियोजन की ओरसे प्रस्तुत साक्ष्य से यह निर्विवाद रूप से साबित है कि हस्तगत प्रकरण में घटना का कोई चश्मदीद गवाह नहीं है एवं प्रकरण परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित है। परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर अभियुक्तगण के विरूद्व आरोप साबित करने के लिये अभियोजन को परिस्थितजन्य साक्ष्य की प्रत्येक कडी को प्रत्यक्ष और स्वतंत्र रूप से साबित करना आवश्यक है। माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा न्यायिक दृष्टांत शरद बिरधीचन्द शारदा बनाम महाराष्ट्र राज्य (1984) 4 एस.सी.सी. पेज-116 में यह स्वर्णिम सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है किः-"153. A close analysis of this decision would show that the following conditions must be fulfilled before a case against an accused can be said to be fully established:

(1) the circumstances from which the conclusion of guilt is to be drawn should be fully established.

It may be noted here that this Court indicated that the circumstances concerned "must or should" and not may be established. There is not only a grammatical but a legal distinction between may be proved and "must be or should be proved as was held by this Court in Shivaji Sahabrao Bobade State of Maharashtra (1973) 2 SCC 793 1973 SCC

(Cr) 1033: 1973 Crf LJ 1783) where the observations were made: (SCC para 19, p. 807: SCC (Cr) p.1047)

"Certainly, it is a primary principle that the accused must be and not merely may be guilty before a court can convict and the mental distance between 'may be' and 'must be is long and divides vague conjectures from sure conclusions"

(2) the facts established should be consistent only with the hypothesis of the guilt of the accused, that is to say, they should not be explainable on any other hypothesis except that the accused is guilty.

(3) the circumstances should be of a conclusive nature and tendency.

(4) they should exclude every possible hypothesis except the one to be proved, and

(5) there must be a chain of evidence so complete as not to leave any reasonable ground for the conclusion consistent with the innocence of the accused and must show that in all human probability the act must have been done by the accused."

इसी प्रकार माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा नवीनतम न्यायिक दृष्टांत रामु अप्पा महापात्र बनाम महाराष्ट्र राज्य 2025 INSC 147 में यह मत व्यक्त किया कि-16. As we know, circumstantial evidence is not direct to the point in issue but consists of evidence of various other facts which are so closely associated with the fact in issue that taken together, they form a chain of circumstances from which the existence of the principal fact

can be legally inferred or presumed. The chain must be complete and each fact forming part of the chain must be proved. It has been consistently laid down by this Court that where a case rests squarely on circumstantial evidence, inference of guilt can be justified only when all the incriminating facts and circumstances are found to be incompatible with the innocence of the accused or the guilt of any other person. The circumstances would not only have to be proved beyond reasonable doubt, those would also have to be shown to be closely connected with the principal fact sought to be inferred from those circumstances. All thesecircumstances should be complete and there should be no gap left in the chain of evidence. The proved circumstances must be consistent only with the hypothesis of the guilt of the accused and totally inconsistent with his innocence. The circumstances taken cumulatively must be so complete that there is no escape from the conclusion that within all human probability the crime was committed by the accused and none else. While there is no doubt that conviction can be based solely on circumstantial evidence butn great care must be taken in evaluating circumstantial evidence. If the evidence relied upon is reasonably capable of two inferences, the one in favour of the accused must be accepted." इस प्रकार माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित उक्त न्यायिक दृष्टांत के अनुसार परिस्थितिजन्य साक्ष्य विचारणीय बिन्दु से सीधे संबंधित नहीं होती है। अन्य तथ्यों की साक्ष्य भी सम्मिलित है, जो विचारणीय बिन्दु से इतनी निकटता से जुडी हुई होती है,

जिनको साथ लिये जाने पर वे परिस्थिति की एक श्रृखंला बनाती है, जिसमें मुख्य तथ्य की स्थिति का कानूनी रूप से अनुमान लगाया जा सकता है। श्रृंखला का हिस्सा बनने वाले प्रत्येक तथ्य को स्वतंत्र रूप से साबित किया जाना चाहिये। अभियुक्त की दोषसिद्वि का अनुमान तब उचित ठहराया जा सकता है, जब सभी तथ्य एवं परिस्थितियां आरोपी की निर्दोषिता या किसी अन्य व्यक्ति के अपराध किये जाने के संबंध में असंगत पाई जाये। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा परिस्थितिजन्य साक्ष्य के संबंध में प्रतिपादित उपर्युक्त न्यायिक दृष्टांत के आलोक में हस्तगत प्रकरण में अभियुक्त के विरूद्व आरोपित अपराध के संबंध में साक्ष्य की विवेचना निम्नलिखित तीन बिन्दुओं पर किया जाना आवश्यक है-

1. Last seen theory (ऐसी साक्षीगण जिन्होंने मृतक को अंतिम बार अभियुक्त के साथ देखा है।)

2. Movtive (घटना कारित करने बाबत अभियुक्त का आशय)

3. अभियुक्त से हुई बरामदगी तथा अभियुक्त द्वारा दी गई सूचना।

1. Last seen theory (ऐसे साक्षीगण जिन्होंने मृतक को अंतिम बार अभियुक्त के साथ देखा है।) पत्रावली पर ऐसा कोई साक्षी नहीं है, जिसने मृतक सुग्रीमा की मृत्यु के तुरन्त पूर्व मृतक के साथ मुलजिमान को देखा हो। इस संबंध में महत्वपूर्ण गवाह पी.ड-4 रिंकेश है, जिसने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह सुग्रीमा को जानता है। वह उसके रिश्ते में कुछ भी नहीं लगता है। चार साल पहले कजोड व हंसराज को उसने जाता हुआ देखा था। हंसराज के हाथ में कुल्हाडी थी, राजू अपने घर पर था। उसने सुग्रीमा के मरने की सूचना सुनी थी। खानपुर अस्पताल में सुग्रीमा का पोस्टमार्टम हुआ था, जहां पर वह गया था। पुलिस ने रिपोर्ट लिखवाई थी, जो प्र.पी-5 है, जिस पर ए से बी

उसके हस्ताक्षर है। पुलिस ने उसके समक्ष मिट्टी जब्त की थी, जिसकी फर्द जब्ती प्र.पी-6 पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। पुलिस ने मृतक के कपडे भी उसके समक्ष जब्त किये थे, जिसकी फर्द जब्ती प्र.पी-7 पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। उसके न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान हुए थे, जो प्र.पी-9 है, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। प्रतिपरीक्षण में उसका कथन रहा है कि यह कहना सही है कि प्र.पी-6, प्र.पी-7, प्र.पी-8 तथा प्र.पी-9 पर उसके हस्ताक्षर किस बाबत करवाये गये थे, उसे पता नहीं है। उसने पुलिस के कहने से ही हस्ताक्षर किये थे। प्र.पी-5 उसकी कलमी है, जो पुलिस के कहेनुसार उसने लिखी थी। पुलिस ने ही प्र.पी-5 की रिपोर्ट उससे लिखवाई थी। यह कहना सही है कि प्र.पी-5 में कजोड और हंसराज के बारे में राजू के घर पर आने व सुग्रीमा के पीछे जाने वाली बात नहीं लिखाई थी। पुलिस ने उसके कभी बयान नहीं लिये। प्र.डी-1 उसने पुलिस को नहीं लिखाया था। यह सही है कि उसने घटना होते हुए नहीं देखी। यह कहना सही है कि घटना के बारे में उसे अगले सुबह पता चला था। इस प्रकार पत्रावली पर पी.ड-4 रिंकेश के अलावा ऐसा कोई गवाह नहीं है, जिसने अपने सशपथ कथनों में घटना के तुरन्त पूर्व मृतक के साथ मुलजिमान को देखने की साक्ष्य दी हो। पी.ड-4 रिंकेश मुख्य परीक्षण में मुलजिमान को जाते हुए देखना बताता है और हंसराज के हाथ में कुल्हाडी होना बताता है, परन्तु उक्त गवाह कजोड व हंसराज को कहां पर जाते हुए देखना, सुग्रीमा के साथ जाते हुए देखने के संबंध में मुख्य परीक्षण में कोई कथन नहीं करता है। विशिष्ठ लोक अभियोजक के द्वारा गवाह से उसके धारा-164 दं.प्र.सं. के अन्तर्गत दिये गये कथनों से किसी भी तरह का कोई कन्फ्रंट नहीं कराया गया है। गवाह के धारा-164 दं.प्र.सं. के कथनों में उक्त गवाह के द्वारा स्पष्ट रूप से कथन किया गया है कि

दिनांक 14.05.2019 की शाम के 07 बजे हंसराज दहीखेडा की तरफ से मोटर साईकिल लेकर आया और उसने कहा कि सुग्रीमा शराब पीकर आ रहा है। ऐसा कहकर घर आया और वहां से कुल्हाडी लेकर कजोड से साथ चला गया। कजोड ने भी कूटीया ले लिया। राजू भी यह कहकर कि क्या हुआ, उनके साथ चला गया। 15-20 मिनिट बाद वे वापस आ गये और सुबह उसे पता चला कि सुग्रीमा मर गया। इस प्रकार उक्त गवाह से उसके धारा-164 दं.प्र.सं. के उक्त कथनों के संबंध में विशिष्ठ लोक अभियोजक के द्वारा कोई प्रश्न नही पूछा गया और न ही उक्त गवाह को पक्षद्रोही घोषित किया गया है। प्रतिपरीक्षण में उसका यह कथन रहा है कि प्र.पी-5 उसकी खुदकलमी है और रिपोर्ट में कजोड और हंसराज के बारे में राजू के घर पर आने और सुग्रीमा के पीछे जाने वाली बात नहीं लिखाना कथन करता है और पुलिस के द्वारा कोई बयान नहीं लेना कथन करता है। पुलिस बयान प्र.डी-1 पुलिस को नहीं लिखाना कथन किया है। इस प्रकार प्रतिपरीक्षण में गवाह ने अभियोजन कहानी के विपरीत कथन किया है, परन्तु अभियोजन के द्वारा उसे पक्षद्रोही घोषित नहीं कर प्रतिपरीक्षण नहीं किया है। अभियोजन के द्वारा उक्त गवाह से यह स्पष्ट नहीं कराया कि मुलजिमान कुल्हाडी लेकर कहां जा रहे थे। हंसराज कुल्हाडी ले कर कहा जा रहा था। उक्त गवाह ने अपने सशपथ कथनों में कहीं पर भी कथन नहीं किया है। अभियोजन के द्वारा उक्त गवाह से धारा-161 व 164 दं.प्र.सं. के अन्तर्गत दिये गये कथनों को कन्फ्रंट ही नहीं कराया गया है। पत्रावली पर लास्ट सीन थ्योरी के संबंध में कोई भी साक्ष्य नहीं है। अभियोजन गवाह पी.ड-2 परमानंद, पी.ड-5 भीमराज, पी.ड-6 चौथमल पूर्ण रूप से पक्षद्रोही घोषित हुऐ हैं, जिनके द्वारा घटना की किसी भी तरह की कोई ताईद नहीं की है। अतः पत्रावली पर

लास्ट सीन थ्योरी के संबंध में घटना के तुरन्त पूर्व मृतक सुग्रीमा के साथ मुलजिमान को देखने के संबंध में पत्रावली पर कोई साक्ष्य विद्यमान नहीं है।

2. Movtive (घटना कारित करने बाबत अभियुक्त का आशय) अभियोजन मुलजिमान के द्वारा मृतक सुग्रीमा की हत्या करने के संबंध में मोटिव को साबित करने में पूर्ण रूप से असफल रहा है। इस संबंध में अभियोजन के किसी भी गवाह ने अपनी साक्ष्य से यह कहीं साबित नहीं कराया है कि किस मोटिव से प्रेरित होकर मुलजिमान के द्वारा सुग्रीमा की हत्या कारित की। प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी-5 जो पी.ड-4 रिंकेश के द्वारा दर्ज कराई गई है, उसमें रिंकेश ने अपने काका सुग्रीमा की हत्या अज्ञात लोगो के द्वारा करना बताया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी-5 में मुलजिमान का कहीं पर भी नाम उल्लिखित नहीं है। पी.ड-2 धीरप जो मृतक का भतीजा है, ने अपने सशपथ कथनों में पूर्ण रूप से पक्षद्रोही घोषित हुआ है। घटना की किसी भी तरह की ताईद नहीं की है। पी.ड-4 जोधराज फर्द पंचायतनामा का औपचारिक गवाह है। पी.ड-4 रिंकेश फरियादी है, जिसने अपनी एफआईआर में अज्ञात व्यक्तियों के द्वारा मृतक सुग्रीमा की हत्या करना बताया है और प्रतिपरीक्षण में घटना के बारे में अगले दिन पता चलने, घटना होते हुए नहीं देखने और मुलजिमान के द्वारा मृतक सुग्रीमा की हत्या करने के संबंध में किसी भी तरह की साक्ष्य नहीं दी है। पी.ड-5 भीमराज तथा पी.ड-6 चौथमल पूर्ण रूप से पक्षद्रोही घोषित हुऐ है, जिन्होंने घटना की ताईद नहीं की है। पी.ड-8 भागचंद मृतक प्र.पी-17 लगायत प्र.पी-22 फोटो खींचना कथन करता है व औपचारिक गवाह है। पी.ड-6 कर्मा बाई, पी.ड-17 सुलोचना बाई, पी.ड-18 भूरी बाई पूर्ण रूप से पक्षद्रोही घोषित हुई हैं, जिन्होंने घटना की किसी भी तरह की कोई ताईद नहीं की है। अभियोजन कहानी के अनुसार मुलजिमान के द्वारा पूर्व में अभियोजन गवाह

पी.ड-18 भूरी बाई के पिता का मर्डर किया था, इसिलए हंसराज उसके पिताजी से रंजिश रखता था। इस कारण उक्त मुलजिमान के द्वारा मृतक की हत्या की गई, परन्तु उक्त मोटिव को साबित करने के लिये किसी भी अभियोजन साक्षी के द्वारा कोई साक्ष्य नहीं दी है। इस संबंध में पी.ड-18 भूरी बाई पूर्ण रूप से पक्षद्रोही घोषित हुई है। मुलजिमान के मृतक सुग्रीमा को जान से मारने के आशय को अभियोजन के द्वारा किसी भी गवाह की साक्ष्य से साबित नहीं कराया है। पी.ड-4 रिंकेश जिसके द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई है, ने अपनी रिपोर्ट में कहीं पर भी मुलजिमान के द्वारा मृतक सुग्रीमा की हत्या करने के संबंध में कोई भी कथन नहीं किया है। उसने अपने सशपथ कथनों में स्पष्ट रूप से कथन किया है कि उसने मुलजिमान के द्वारा सुग्रीमा की हत्या करने के संबंध में किसी भी तरह की कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई है। गवाह ने प्रतिपरीक्षण में कथन किया है कि प्र.पी-5 उसकी कलमी है, जो पुलिस के कहेनुसार उसने लिखी थी। पुलिस ने ही प्र.पी-5 की रिपोर्ट उससे लिखवाई थी। यह कहना सही है कि प्र.पी-5 में कजोड और हंसराज के बारे में राजू के घर पर आने व सुग्रीमा के पीछे जाने वाली बात नहीं लिखाई थी। पुलिस ने उसके कभी बयान नहीं लिये। प्र.डी-1 उसने पुलिस को नहीं लिखाया था। यह सही है कि उसने घटना होते हुए नहीं देखी। यह कहना सही है कि घटना के बारे में उसे अगले सुबह पता चला था। गवाह पी.ड-18 भूरी बाई पूर्ण रूप से पक्षद्रोही घोषित हुई है, जिसने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि उसके पिताजी को किसने मारा, उन्हें जानकारी नहीं है, न ही उन्हें हंसराज, राजेन्द्र, कजोड पर कोई शक था। गवाह ने प्रतिपरीक्षण में कथन किया है कि यह कहना गलत है कि उन्हें हंसराज मोग्या पर शक हो कि उसने उनके पिता की हत्या की हो। यह भी कहना गलत है कि हंसराज और उसके साथी उसके पिताजी से रंजिश

रखते हो। यह बात सही है कि उसके पिताजी के हाथ से उनके बडे भाई गोपाल जी की मौत हो गई थी और उसके पिताजी के उपर इस बाबत केस भी चला था। यह कहना गलत है कि इसी कारण हंसराज उसके पिताजी से रंजिश रखता हो। इस प्रकार मुलजिमान के द्वारा मृतक सुग्रीमा की हत्या किस आशय से की गई, यह अभियोजन साक्ष्य से साबित नहीं है। अभियोजन यह तथ्य साबित करने में पूर्ण रूप से असफल रहा है कि मृतक सुग्रीमा की हत्या किस वजह से हुई। अतः घटना कारित करने बाबत अभियुक्तगण का आशय अभियोजन सन्देह से परे साबित करने में असफल रहा है।

3. अभियुक्त से हुई बरामदगी तथा अभियुक्त द्वारा दी गई सूचना- इस संबंध में पी.ड-9 कमलचंद थानाधिकारी ने अपने सशपथ कथनों में कथन किया है कि मेने घटना स्थल से खून आलूदा मिट्टी और सादा मिट्टी के सेम्पल जरिये फर्द प्र.पी-6 के जब्त किये थे तथा मृतक सुग्रीमा की खून आलूदा शर्ट को जरिये फर्द प्र.पी-7 के जब्त किया था। अभियुक्तगण ने जैरे हिरासत उसे सूचना दी थी कि उन्होंने जिस स्थान पर मृतक सुग्रीमा को मारा था, उस स्थान को चलकर बता सकते है। उक्त सूचना पर अनुसंधान अधिकारी ने पी.ड-9 कमलचंद ने घटना स्थल की फर्द तस्दीक प्र.पी-31 बनाई है। जैरे हिरासत अभियुक्त हंसराज की सूचना पर मारपीट में प्रयुक्त की गई कुल्हाडी को उसके घर में लोहे के बक्से के नीचे से जरिये फर्द जब्ती प्र.पी-32 के जब्त किया, अभियुक्त हंसराज की सूचना पर उसके घर रूपाहेडा से एक कुल्हाडी को जरिये फर्द जब्ती प्र.पी-33 के जब्त कर बरामदगी स्थल का नक्शा मौका प्र.पी-34 बनाया। अभियुक्त कजोड उर्फ बालमुकुन्द की सूचना पर लोहे की कूटिया को उसके घर में किवाड के पीछे से जरिये फर्द प्र.पी-36 के जब्त किया तथा बरामदगी स्थल का नक्शा मौका प्र.पी-37 बनाया। अभियुक्त राजू

उर्फ राजेन्द्र के द्वारा मारपीट में प्रयुक्त बांस की लकडी को उसके घर में लोहे की टंकी के पीछे से जरिये फर्द प्र.पी-39 के जब्त किया तथा बरामदगी स्थल का नक्शा मौका प्र.पी-40 बनाया। अनुसंधान अधिकारी ने प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया है कि उसने हथियार बरामदगी के संबंध में सूचना मिलने पर बरामदगी हेतु थाने से निकलते समय किसी भी स्वतंत्र गवाह को साथ नहीं लिया था। बरामदगी स्थल प्र.पी-34 रिहायशी एरिया है, जहां काफी लोगबाग रहते है। बरामदगी स्थल प्र.पी-34 के स्वामित्व के संबंध में कोई दस्तावेज प्राप्त नहीं किये थे। प्र.पी-33 में वर्णित स्थान पर पहुंचे तो मकान के ताला लगा हुआ था, अभियुक्त ने टांड से चाबी निकालकर ताला खोला था। जब्ती के बाद पुनः ताला लगा दिया था। प्र.पी-37 में वर्णित स्थान रिहायशी एरिया है, वहां लोगबाग रहते है। स्वतंत्र गवाह को इसलिए नहीं बुलाया, क्योंकि उस समय वहां कोई नहीं था। प्र.पी-37 स्थान जानवरों को बांधने का बाडा था, जिसके कुन्दी लगी थी, लेकिन कोई ताला नहीं लगा था। प्र.पी-40 का बरामदगी स्थल रिहायशी एरिया है, जिसके स्वामित्व के कोई दस्तावेज नहीं लिये। ऐसे में अभियुक्तगण के कब्जे से बरामद किया जाना बताये गये हथियारों की बरामदगी सन्देह से परे साबित नहीं है। अनुसंधान अधिकारी का ऐसा कोई कथन नहीं रहा है कि वक्त जब्ती उक्त जब्तशुदा हथियारों पर कोई खून के निशानात मौजूद हो। एफएसएल रिपोर्ट प्र.पी-51 में उक्त हथियारों पर मानव रक्त पाया गया है, परन्तु उक्त मानव रक्त मृतक का ही हो, यह भी साबित नहीं है। उक्त बरामद हथियारों के संबंध में गवाहान के द्वारा प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया है कि उक्त हथियार खुले बाजार व घर में मिलते है। एफएसएल रिपोर्ट प्र.पी-51 में घटना स्थल पर मिली मिट्टी में मानव रक्त पाया गया है। ऐसे में एफएसएल रिपोर्ट प्र.पी-51 से भी यह तथ्य साबित नहीं

होता है कि अभियुक्तगण से जब्त उक्त हथियारों से ही मृतक सुग्रीमा की हत्या कारित की गई हो। उक्त जब्तशुदा हथियारों पर मुलजिमान को उक्त हथियार व उक्त अपराध से जोडने की कोई साक्ष्य नहीं पायी गई है। मुलजिम राजू के मकान से लकडी, कजोड के कब्जे से कूटिया बरामद किया गया है, जो अभियुक्तगण के कब्जे का ही हो, इस बाबत मकान के स्वामित्व का कोई दस्तावेज अनुसंधान अधिकारी के द्वारा जब्त नहीं किया गया है। मोर सिंह बनाम गोआ राज्य, 1999(3) क्राईम्स- में माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा प्रतिपादित किया गया है कि अभियुक्त के प्रकटीकरण मात्र से दोषसिद्वि नहीं की जा सकती है।

35- इस प्रकार उपर्युक्त विवेचन व विष्लेषण के आधार पर अभियोजन परिस्थितिजन्य साक्ष्य से लास्ट सीन थ्योरी, मोटीव व अभियुक्तगण के द्वारा दी गई इत्तिला के आधार पर अन्य तथ्य का प्रकटन को युक्तियुक्त सन्देह से परे प्रमाणित एवं साबित करने में पूर्ण रूप से असफल रहा है। ऐसी स्थिति में मुलजिमान हंसराज, कजोड उर्फ बालमुकुन्द तथा राजू उर्फ राजेन्द्र आरोपित अपराध अर्न्तगत धारा-302/34 भा.दं.सं. तथा धारा-4/25 आयुध अधिनियम में सन्देह का लाभ देकर दोषमुक्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

36- अतः अभियुक्तगण 01- हंसराज मोग्या पुत्र गोपाल, उम्र-45 साल, 02-राजेन्द्र उर्फ राजू मोग्या पुत्र परमानंद, उम्र-40 साल, निवासीगण-रूपाहेडा, पुलिस थाना खानपुर, जिला-झालावाड(राज.) आरोपित अपराध अर्न्तगत धारा-302/34 भा.दं.सं. तथा 03-कजोड उर्फ बालमुकुन्द मोग्या, उम्र-30 साल, निवासी-रूपाहेडा, पुलिस थाना खानपुर, जिला-झालावाड (राज.)

आरोपित अपराध अंतर्गत धारा-302/34 भा.दं.सं. व धारा-4/25 आयुध में सन्देह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त किया जाता है। अभियुक्तगण के न्यायालय में उपस्थिति बाबत प्रस्तुत जमानत मुचलके निरस्त किये जाते है।

37- प्रकरण में जब्तशुदा हथियारों को बाद गुजरने मियाद अपील नियमानुसार नष्ट किया जावे।

(बरकत अली)
विशिष्ठ न्यायाधीश
एन.डी.पी.एस.प्रकरण
झालावाड़

38- निर्णय आज दिनांक 15.05.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया व हस्ताक्षरित किया गया।

(बरकत अली)
विशिष्ठ न्यायाधीश
एन.डी.पी.एस.प्रकरण
झालावाड़

<u>प्रमाण-पत्र</u>

निर्णय में किये गये सभी संशोधनों को अपलोड करने से पूर्व समाविष्ट कर लिया गया है।

(मोहम्मद हुसैन)
स्टेनो ग्रेड-।

नोटः- यह प्रतिलिपि प्रार्थी/अधिवक्ता की जानकारी के लिये है। सत्यापित प्रतिलिपि न्यायालय से प्राप्त कर सकते है।